

106/25 - फोनकी आज दिनांक 13/08/25 को
प्रस्तुत हुई। डॉक्टर सुनवाई प्राप्त
प्रस्तुत किया गया जिस पर वादी
की वकील व पुलिस के कानिबल
द्वारा बरस सुनी गई। वादी वकील
द्वारा निकेतन किया गया कि वादी
पुलिस के संयुक्त कारोबार
की जमाखंडी के कारा सं. नं. 331
पुराना 145 में कुल बसे 12 बरस
कुल रकम 0.9400 हेक्टर रिक्त
केवल बरस व कारा-चल कर रहे
जबकि कानूनी व सामाजिक रूप से
कोई बंधन नहीं हुआ है पुलिस
की वकील द्वारा निकेतन किया कि पुलिस
की सहमति से निमाधकार चल रहे
है मजान् निमाधक नं. 519 की
हालाती में बनाया गया है कानिबल
कोई लेना-देना नहीं है प्रकरण को
ध्यान से अवगत किया गया। न्यायालय
द्वारा लेना-देना के कानिबल द्वारा
की वकील बरस सुनी गई जिसमें
पाया गया कि कानिबल व पुलिस
की संयुक्त जमाखंडी जिसका

खसरा नम्बर नया 33। पुराना 145
 कुल आराजीघात 12 हेक्टर कुल रकबा
 0.9400 हेक्टर है। जिसमें वारी व
 प्रतिवासीगण का सम्पूर्ण खसरा पर हिस्सा
 की कानूनी व सामाजिक बंटवारा वारी
 व प्रतिवासीगण द्वारा नहीं हुआ है जो
 कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है खसरा
 नम्बर 519 की जयें तब बाद है वह
 कुछ हिस्सा आबादी में परिवर्तित है
 लेकिन कुछ हिस्सा कृषि भूमि में है।
 जयें वारी व प्रतिवासीगण का न्यायिक हलानत
 वारी द्वारा पेय किया गया इससे स्पष्ट है कि
 बंटवारा जिसे बिना कोर्ट की परकार निर्माण
 नहीं कर सकारा है आबादी क्षेत्रों का न्यायिक
 सिविल कोर्ट में है। लेकिन उक्त खसरा की
 कुछ भाग कृषि भूमि है जिसे सुनने का
 अधिकार हमारे न्यायालय को है। बाद
 में वरिष्ठ कृषि सचिव पर प्रतिवासीगण
 के अग्रिम दिल जाता है कि निर्माती
 कार्य भूच वाद के निष्पत्तक प्रयासपत्नी
 बनाये रखेंगे और न ही किसी कोर्ट से
 निर्माण कार्य करवायेंगे। मूल वाद के निस्तारण
 तब कसबा निष्काशा जाये की जाती है
 प्रवासी फसल सुमार है नम्बर 10 व 11 की
 जके प्रवासी भूच व ताल है।

लखण्ड अधिकारी
 इंगरपुर